उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
लखनऊः दिनांक 14-12-2024

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- निजी क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु 68 पी0जी0 सीट हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.11.2024 को एल0ओ0पी0 (Letter of Permission) निर्गत की गयी है।

3- इस क्रम में दिनांक 10.12.2024 को फीस नियमन समिति की सम्पन्न बैठक के समक्ष संबंधित मेडिकल कालेज की सुनवाई, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परिशीलन के उपरान्त फीस नियतन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा के पी0जी0 पाठयक्रम हेतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्लीनिकल	रू0 22,35,387.00
पैथालॉजी	रू0 12,18,877.00

छात्रावास शुल्क-

नॉन ए0सी0 सिंगिल आकूपेंसी	रू0 2,75,000.00
नॉन ए0सी0 डबल आकूपेंसी	रू0 1,92,500.00
ए0सी0 सिंगल आकूपेन्सी	रू0 3,30,000.00
ए0सी0 डबल आकूपेन्सी	रू0 2,31,000.00

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लंच व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वैरायटी का होगा।

सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुएः	रू0 5,00,000 (एक वार)

विविध शुल्क- रू0 1,41,240 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज, यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र है।

Signed by
Partha Sarthi Sensharma
Date: 14-12-2024 16:52:08
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशालय की अधिकृत वेबसाईट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा उक्त संस्था द्वारा भी इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न शुल्क की सूची उनकी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निदेशक,एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष/प्रधानाचार्य, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा ।
6. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग4-, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

Signed by
आज्ञा से,
Manoj Kumar Singh
Date: 14-12-2024 16:53:56
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।